अध्याय 4

कार्य के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड

[धारा 4 (1) (बी) (iv)]

कृपया अपने कार्यों/सेवाओं के वितरण के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्धारा निर्धारित मानदंडों/मानकों का विवरण प्रदान करें।

स. क्र.	कार्य/सेवा	मानदंड/प्रदर्शन सेट के मानक	समयसीमा	दस्तावेज़ विहित मानदंड (नागरिक है चार्टर सेवा अध्याय आदि)
1	पूर्व निर्धारित समस्त कार्य निश्चित समयसीमा में पूर्ण हो जाये यह जिम्मेदारी कक्ष प्रभारी/समन्वयक से लेकर आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र तक सामान्य से होगी एवंऐसे समस्त कार्यों के लिए आयुक्त,राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा सभी अग्रेषण क्रमों के लिए कार्य को अग्रेषित करने की सीमा इस तरह तय की जावेगी जिससे कार्य 15 दिन की अधिकतम सीमा के अंतर्गत सम्पादित हो सके।	सामान्यतः कार्य निष्पादन न्यूनतम समय में किया जाना आवश्यक होगा जिसके लिएकोई समयसीमा तय नहीं होगी, परन्तु कोई भी कार्य 15 दिवसों के अंदर पूर्ण करना अनिवार्य होगा। कार्य निष्पादन के क्रम में कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी उसे अंकित किये गये कार्य अधिकतम तीसरे कार्य दिवस में निश्चित रूप से अपने अगले क्रम को अंकित करेगा। निर्धारित अवधि के बाद नस्ती प्रस्तुत करने पर उसे विलम्ब का कारण स्पष्ट रूप से अग्रेषण के समय नस्ती पर अंकित करना होगा। ऐसा करते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि विलम्ब इतना न हो जिससे 15 दिवस की सीमा का उल्लंघन हो ।	15 दिवसों	नागरिकों से प्राप्त शिकायतों तथा पत्रों के उत्तर समयसीमा में निपटाने की जवाबदारी सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की एक समान होगी। इसके लिएआयुक्त,राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा नस्ती संधारण करने वाले कर्मचारी से लेकर कक्ष प्रभारी तथा अन्य अधिकारियों, जिसमें वे स्वयं भी शामिल है, के लिए अवधि इस प्रकार तय की जावेगी कि कार्य पूर्ण होने तक सिटीजन चार्टर में उल्लेखित समयसीमा के अंतर्गत कार्य पूर्ण हो जाये। सूचना के अधिकार अंतर्गत सूचना अधिकारियों एवं सहायक सूचना अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का निराकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होगा ।